

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530- 220602

E-mail ID :- dfotskalan@mp.gov.in

क्रमांक/डी.एम./2022/९२४५

श्योपुर, दिनांक 21/09/2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निमाण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 सवाई माधोपुर (पाली)- श्योपुर गोरस मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण हेतु 20.568 हैक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत् ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/124367/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR 002/2022-BHO दिनांक 21.09.2022 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5 /1091/2021/10-1/3310 दिनांक 23.09.2022 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित ज्ञापनों के तारतम्य में लेख है कि श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 सवाई माधोपुर (पाली)- श्योपुर गोरस मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण में प्रभावित भूमि रकबा 20.568 हैक्टेयर के व्यपवर्तन की भारत सरकार के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 21.09.2022 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक अनुमति (सशर्त) जारी की गई है, जिसमें निम्नानुसार अधिरोपित शर्त क्रमांक A(1), A(2,3) के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु परियोजना राशि एवं प्रभावित वनभूमि हेतु एन.पी.व्ही. राशि आपके द्वारा जमा कराई जाकर शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे -

01. शर्त बिंदु क्रमांक A(1) के निर्देशानुसार प्रस्तावित कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 20.568 हैक्टेयर के बदले दो गुना बिगड़े वनक्षेत्र रकबा 42.00 हैक्टेयर में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु परियोजना राशि रुपये 192.541 लाख निर्देशानुसार ई-पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे, जिसकी प्रति इस कार्यालय में पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करे।
02. शर्त बिंदु क्रमांक A(2, 3) के निर्देशानुसार प्रस्तावित कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि रकबा 20.568 हैक्टेयर हेतु एन.पी.व्ही. राशि रुपये 229.724 लाख ई-पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। प्रति पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करे।

पत्रक

क्र.	प्रस्तावित योजना	प्रस्तावित व्यपवर्तित रकबा	जमा की जाने वाली राशि (लाख में)		
			क्षतिपूर्ति वनीकरण (सी.ए.) हेतु	एन.पी.व्ही.	कुल योग
01	02	03	04	05	06
01	नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 सवाई माधोपुर (पाली)- श्योपुर गोरस मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण	20.568 हैक्टेयर	192.541	229.724	422.265

पी.टी.ओ-02

03. शर्त बिंदु क्रमांक A(4) के पालन में रोड साईड प्लान्टेशन हेतु संबंधित उपवनमंडलाधिकारी श्योपुर एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी श्योपुर से सम्पर्क स्थापित कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाकर प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करे, ताकि प्रोजेक्ट की प्रस्तावित राशि जमा कराये जाने बावत् पृथक से अवगत कराया जा सकें ।
04. शर्त बिंदु क्रमांक A(6) के पालन में व्यपवर्तित वनभूमि के संबंध में एफ.आर.ए. प्रामाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा जारी कराया जाकर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।
05. शर्त बिंदु क्रमांक B(4) के तहत प्रस्तावित व्यपवर्तित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों 3684 की कटाई एवं डिपो तक परिवहन एवं चट्टे लगाने आदि में आंकलित राशि जमा हेतु शीघ्र ही पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

अतः भारत सरकार द्वारा संदर्भित जारी सैद्धांतिक अनुमति में समस्त अधिरोपित शर्तों का पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(सी०एस०चौहान)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर, दिनांक 21-11-22

पृ.क्रमांक/डी.एम./ 2021/ 9285
प्रतिलिपि :-

01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
02. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
03. उपवनमंडलाधिकारी उपवनमंडल श्योपुर/वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र श्योपुर की ओर भेजकर लेख है कि श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 सवाई माधोपुर (पाली)- श्योपुर गोरस मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण हेतु आवेदक संस्था के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर ~~आवश्यक~~ वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे।
Road Side

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530-220602
E-mail ID :- dfotakalan@mp.gov.in

क्रमांक/डी.एम./कैम्पा/2022/...3346

श्योपुर, दिनांक 23.11.22

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
आउदा निर्माण संभाग द्वितीय
म.प्र.पा.प्रा.क.लि. ग्वालियर

विषय :- श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 सवाई माधोपुर (पाली)- श्योपुर गोरस मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण हेतु 20.568 हैक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/124367/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR 002/2022-BHO दिनांक 21.09.2022 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5 /1091/2021/10-1/3310 दिनांक 23.09.2022 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 9284 दिनांक 21.11.2022 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 21.11.2022 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक 05 शर्त बिंदु क्रमांक B(4) के तारतम्य में लेख है कि, श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 सवाई माधोपुर (पाली)- श्योपुर गोरस मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण (प्रभावित वनभूमि 20.568 हैक्टेयर) में प्रभावित वृक्षों 3684 के विदोहन की कार्यवाही हेतु प्रभावित वृक्षों की कटाई/चट्टे बनाने/थप्पी बनाने/जलाऊ चट्टे बनाने एवं परिवहन कर डिपो तक पहुंचाने की वृक्षों की विदोहन राशि रुपये 15,36,540/- (रुपये पन्द्रह लाख छत्तीस हजार पांच सौ चालीस रुपये) राज्य के राजस्व मद "0406 वानिकी एवं अन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्रतियों में वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे एवं जमा की गई राशि की रिसीट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे एवं संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2022 (Stage-I) अनुमति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे, ताकि वरिष्ठ को भेजा जा सके।

(सी.एस. चौहान)

(भा.ब.से.)

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर, दिनांक 23.11.22

पृ.क्रमांक/डी.एम./कैम्पा/2022/...3347

प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)